न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
169/2013	03.10.2013	07-1-2026

1. विनाता पुत्री राजूलाल, मीना निवासी लोधा कॉलोनी तह0 गंगापुर सिटी
2. सुमेरबाई पुत्री राजूलाल, मीना नि0 भंगडपुरा, मीणा बस्ती, तह0 सपोटरा

—वादीगण

बनाम

1. राजूलाल पुत्र रतन, मीना निवासी गॉवडी कलॉं तह0 गंगापुर सिटी
2. भंवरसिंह पुत्र राजूलाल, मीना निवासी गॉवडी कलॉं तह0 गंगापुर सिटी
3. चेतनसिंह पुत्र राजूलाल, मीना निवासी गॉवडी कलॉं तह0 गंगापुर सिटी
4. बचनसिंह पुत्र राजूलाल, मीना निवासी गॉवडी कलॉं तह0 गंगापुर सिटी
5. रामधन पुत्र रामफूल, मीना, पोस्ट अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
6. मौसरिया पुत्र रामफूल, मीना, पोस्ट अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
7. करमाबाई उर्फ मेनाक पत्नी तेजराम, मीना, पोस्ट अलीगंज तह0 गंगापुर
8. रामप्रसाद पुत्र रतन, मीना, पोस्ट अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
9. रामकिशन पुत्र फैली, मीना, पोस्ट अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही बुजुर्ग की संतान है। वदीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की पैतृक खातेदारी की भूमि ग्राम गांवडीकलॉं मे रही है। जो उनके पूर्वजों को सरकार द्वारा अलॉट की गई थी। जिनके एकीकरण के बाद सेटिलमेन्ट मे नवीन ख0न0 30 रकबा 0.32 है0, ख0न0 199 रकबा 0.14 है0, ख0न0 201 रकबा 0.11 है0, ख0न0 215 रकबा 0.20 है0, ख0न0 385 रकबा 0.60 है0, ख0न0 393 रकबा 0.68 है0, ख0न0 394 रकबा 0.34 है0, ख0न0 418 रकबा 0.67 है0, ख0न0 432 रकबा 0.81 है0, ख0न0 434 रकबा 0.80 है0 ख0न0 439 रकबा 0.72 है0 ग्राम गॉवडीकला कायम किये गये थो। वादीगण के पिता का प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/4 हिस्सा है। ख0न0 426 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:35:39 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
टी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०) (राज०)
सत्यमेव जयते

0.04 है0 जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 124 हिस्सा व 1/2 हिस्सा अन्य दीगर का है। ख0न0 27 रकबा 0.58 है0, ख0न0 28 रकबा 0.57 है0, ख0न0 29 रकबा 0.29 है0, ख0न0 30 रकबा 0.70 है0, ख0न0 31 रकबा 0.62 है0 ग्राम गांवडीखुर्द मे स्थित है। मौके पर पक्षकारान ने अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन किया हुआ है। ख0न0 278 रकबा 0.25 है0, ख0न0 279 रकबा 0.13 है0, ख0न0 280 रकबा 0.35 है0, ख0न0 281 रकबा 0.32 है0 ग्राम गांवडीखुर्द मे प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा है। लेकिन उक्त खाते मे सहखातेदारों के विरूद्ध कोई रिलीफ नही चाहे जाने के कारण उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहुत ही लालची किस्म के व्यक्ति है।प्रतिवादी संख्या 1 शराब का आदि है। प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज उक्त भूमि मे से अपने हिस्से को बैंको, वित्तीयसंस्थानों, साहूकारों के यहा रहन रखकर आए दिन कर्ज उठाता रहता है और कर्ज की रकम से अपने शौक पूरे करता है। प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 जिनका उक्त भूमि मे अलग हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 की लापरवाही व शराब की लत का फायदा उठाकर काश्तकारी की भूमि को सस्ती दरों पर अपने नाम कराने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है जो प्रतिवादी संख्या 1 को पूर्ण सहयोग कर रहे है। वादीगण प्रतिवादी संख्या1 की वैध पुत्रियां है का उक्त भूमि मे वही हिस्स है जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का है। प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि को अन्य जगह विक्रय करने पर आमादा है। उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि होने के कारण कानूनन वादीगण का समान हिस्सा है। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 30 रकबा 0.32 है0, ख0न0 199 रकबा 0.14 है0, ख0न0 201 रकबा 0.11 है0, ख0न0 215 रकबा 0.20 है0, ख0न0 385 रकबा 0.60 है0, ख0न0 393 रकबा 0.68 है0, ख0न0 394 रकबा 0.34 है0, ख0न0 418 रकबा 0.67 है0, ख0न0 432 रकबा 0.81 है0, ख0न0 434 रकबा 0.80 है0 ख0न0 439 रकबा 0.72 है0 ग्राम गॉवडीकला, ख0न0 27 रकबा 0.58 है0, ख0न0 28 रकबा 0.57 है0, ख0न0 29 रकबा 0.29 है0, ख0न0 30 रकबा 0.70 है0, ख0न0 31 रकबा 0.62 है0 ग्राम गांवडीखुर्द, ख0न0 278 रकबा 0.25 है0, ख0न0 279 रकबा 0.13 है0, ख0न0 280 रकबा 0.35 है0, ख0न0 281 रकबा 0.32 है0 ग्राम गांवडीखुर्द मे प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से मे वादीगण का बाईवर्थ हिस्सा निहित है। इसलिए उक्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से मे निहित मिन वादीगण के 1/5–1/5 हिस्से के लिए वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:55:39 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
...पुर सिटी (राज०)
उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (प्रथम) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स०मा०)

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 5 लगायत 9 का पक्षकारों के हिस्से अनुसार मीट्स एंड बाउन्ड्स से विधिवत विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण के विभाजन के पश्चात प्राप्त होने वाले हिस्से के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजामहत पैदा न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए। इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2069 से 2072 खाता संख्या 95, 96 ग्राम गावंडीकलॉ, नकल जमाबंदी संवत 2066–69 खता संख्या 96,, 69 ग्राम गांवडी खुर्द, नकल जमाबंदी संवत 2066–69 ग्राम गावंडी कलॉ, नकल जमाबंदी संवत 2066–69 ग्राम गावडीखुर्द, नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग, फोटोकॉपी पहचान पत्र सुमेरबाई, फोटोकॉपी पहचान पत्र विनाता, फोटोकॉपी राशनकार्ड राजूलाल प्रस्तुत किये है एवं बयान वादीगण विनाता पीडब्ल्यू 1, सुमेरबाई पीडब्ल्यू 2 कराये है।

बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का एवं राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि नकल जमाबंदी संवत 2017 के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी राजूलाल के पिता रतन की खातेदारी मे दर्ज रही है। इसके पश्चात यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी मे आई है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी राजूलाल की स्वअर्जित भूमि नही होकर पैतृक भूमि है। जिसमे वादीगण का जन्म से ही अधिकार है। चूकि प्रतिवादी संख्या 1 के वादीगण के अलावा प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 भी वारिस है। इसलिए वादग्रस्त भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 अपना हिस्सा घोषित कराने के अधिकारी है। फलस्वरूप वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0न0 30 रकबा 0.32 है0, ख0न0 199 रकबा 0.14 है0, ख0न0 201 रकबा 0.11 है0, ख0न0 215 रकबा 0.20 है0, ख0न0 385 रकबा 0.60 है0, ख0न0 393 रकबा 0.68 है0, ख0न0 394 रकबा 0.34 है0, ख0न0 418 रकबा 0.57 है0, ख0न0 432 रकबा 0.81 है0, ख0न0 -

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:35:39 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
ापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0)
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज0)

434 रकबा 0.80 है0 ख0न0 439 रकबा 0.72 है0 ग्राम गॉवडीकला कुल रकबा 5.39 है0 मे दर्ज राजूलाल पुत्र रतन के हिस्से 1/4 के स्थान पर वादी संख्या 1, 2 प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक को 1/24–1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ख0न0 27 रकबा 0.58 है0, ख0न0 28 रकबा 0.58 है0, ख0न0 29 रकबा 0.29 है0, ख0न0 30 रकबा 0.70 है0, ख0न0 31 रकबा 0.62 है0 ग्राम गांवडीखुर्द कुल रकबा 2.77 है0 मे दर्ज राजूलाल पुत्र रतन के हिस्से 1/4 के स्थान पर वादी संख्या 1, 2 प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक को 1/24–1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ख0न0 278 रकबा 0.25 है0, ख0न0 279 रकबा 0.13 है0, ख0न0 280 रकबा 0.35 है0, ख0न0 281 रकबा 0.32 है0 ग्राम गांवडीखुर्द कुल रकबा 1.05 है0 मे दर्ज राजूलाल पुत्र रतन के हिस्से 1/18 के स्थान पर वादी संख्या 1, 2 प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक को 1/108 – 1/108 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इन नम्बरों मे राजूलाल के हिस्से मे दर्ज रहन उपरोक्त वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से मे आने वाली भूमि पर यथावत दर्ज रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7-1-26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (सवा0)

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:35:39 IST
Reason: SelfAttested